307.

संख्या– /XXVIII–4–2013–61/2012

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग–4 **देहरादून : दिनांक 22 मई, 2013**

विषय – वित्तीय वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कियान्वयन हेतु बीमा प्रीमियम के राज्यांश का भुगतान करने हेतु धनराशि अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–6प/नियो0/38/2009/9436, दिनांक 01.05.2013 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से आच्छादित करने के लिये बीमा कम्पनियों को प्रीमियम देने के लिए राज्यांश के रूप में संलग्नक में अंकित विवरणानुसार ₹1,50,00,000.00 (₹ एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. यह सुनिश्चित किया जाय कि बीमा कम्पनियों द्वारा किया गया व्यय अनुबन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार है।
2. धनराशि का आहरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि गत वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है। विगत वर्ष में लाभार्थियों की बीमा अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार से सहमति प्राप्त होने एवं उक्त के लिये अपेक्षित धनराशि प्राप्त होने अथवा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त होने पर ही उक्त के लिये अपेक्षित राज्यांश का आहरण/व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
3. धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत मद से इतर कदापि व्यय न किया जाय।
4. धनराशि को शीघ्र कोषागार से आहरित कर स्टेट नोडल ऑफिसर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं जनपदों के लाभार्थियों के स्वास्थ्य बीमा पर किया जाय जिसके लिये बीमा कम्पनियों के साथ अनुबन्ध निष्पादित हुआ है।
6. उक्त धनराशि का आहरण/व्यय यथा–आवश्यकतानुसार मितव्ययता को ध्यान में रखकर नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2013 तक पूर्ण उपयोग करना सुनिश्चि किया जाय। यदि उक्त तिथि को कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो वह नियमानुसार शासन को समर्पित की जायेगी।

8. स्वीकृत धनराशि का आहरण, व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19.06.2012 में उल्लिखित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 एवं 30 के अन्तर्गत संलग्नक में वर्णित लेखाशीर्षकों के प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–19(P)/XXVII(3)/2013–14 दिनांक 21 मई, 2013 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या– 616 (1)/XXVIII–4–2013–61/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. निदेशक, कोषागार, लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. नोडल अधिकारी, आर.एस.बी.वाई, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
6. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून ।
8. गार्ड फाईल ।

संलग्न : यथोक्त

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र पयाल)
अनु सचिव।

शासनादेश सं0– /XXVIII–4–2013–61/2012दिनांक मई, 13 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्रम सं0	लेखाशीर्षक		धनराशि (रू0 हजार में)
	अनुदान सं0–12		
1	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– आयोजनागत	
	06	लोक स्वास्थ्य	
	800	अन्य व्यय	
	01	केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	
	0106	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (25 प्रतिशत राज्यांश)	
	42	अन्य व्यय	12150
		योग	**12150**
	अनुदान सं0–30 – अनुसूचित जाति का कल्याण		
2	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य – आयोजनागत	
	03	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें– पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति	
	110	अस्पताल तथा औषधालय	
	01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	
	0102	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (25 प्रतिशत राज्यांश)	
	42	अन्य व्यय	**2850**
		योग	**2850**
		महायोग	**15000.00**

(रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र)

(अतर सिंह)
उप सचिव